रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 2006/पौष 22, 1927
No. 35] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2006/PAUSA 22, 1927

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 12 जनवरी, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 38(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में :

(i) विनियम 2 में,

(क) खंड (डक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

"(डख) 'स्वर्ण एक्सचेंज व्यापारित निधि स्कीम' से वह पारस्परिक निधि स्कीम अभिप्रेत होगी जो स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों में प्राथमिक तौर पर विनिधान करती है ;

"(डग) 'स्वर्ण संबंधित लिखत' से अंडरलाइंग रूपी स्वर्ण वाली ऐसी लिखत अभिप्रेत होगी, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये ; "

(ख) खंड (थ) में, शब्दों "मुद्रा बाजार लिखतों" के पश्चात् और शब्दों "सहित प्रतिभूतियों" के पूर्व, शब्द "अथवा स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों" अंतःस्थापित किये जायेंगे ;

(ii) विनियम 7 में, खंड (छ) में, शब्द "प्रतिभूतियों" के पश्चात्, शब्द "अथवा स्वर्ण तथा स्वर्ण संबंधित लिखतों" अंतःस्थापित किये जायेंगे ;

(iii) विनियम 26 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"**परंतु यह** कि स्वर्ण एक्सचेंज व्यापारित निधि स्कीम के मामले में, स्कीम की आस्तियाँ, स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतें होते हुए, बैंक जो बोर्ड के पास अभिरक्षक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है की अभिरक्षा में रखी जायें । "

(iv) विनियम 43 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"विनिधान उद्देश्य

43. (1) इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, पारस्परिक निधि इसकी स्कीमों में से किसी के अधीन एकत्र किए गए धन का विनिधान केवल -

(क) प्रतिभूतियों ;

(ख) मुद्रा बाजार लिखतों ;

(ग) निजी स्थानन वाले डिबेंचरों ;

(घ) प्रतिभूत ऋण लिखतों, जो या तो आस्ति समर्थित या बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ हैं ; या

(ङ) स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों

में ही कर सकेगी ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन किया गया कोई विनिधान सुसंगत पारस्परिक निधि स्कीम के विनिधान उद्देश्य के अनुसार होगा ।

(3) पारस्परिक निधि की किसी मुद्रा बाजार स्कीम के अधीन एकत्र किए गए धन का विनिधान केवल मुद्रा बाजार लिखतों में ही किया जायेगा ।

(4) किसी स्वर्ण एक्सचेंज व्यापारित निधि स्कीम के अधीन एकत्र किए गए धन का विनिधान केवल स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों में ही किया जायेगा, विनियम 44 के उप-विनियम (5) के अनुसार ।"

(V) विनियम 44 में -

(क) उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

"**परंतु यह** कि सातवीं अनुसूची की कोई भी बात स्वर्ण एक्सचेंज व्यापारित निधि स्कीम के प्रति लागू नहीं होगी ।"

(ख) उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

"(5) स्वर्ण एक्सचेंज व्यापारित निधि स्कीम निम्नलिखित विनिधान निर्बंधनों के अध्यधीन होगी :

(क) किसी ऐसी स्कीम की बाबत आरंभिक निर्गम व्यय उस स्कीम के अधीन जुटायी गई निधियों के छह प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ;

(ख) किसी ऐसी स्कीम की निधियों का विनिधान केवल इसके विनिधान उद्देश्य के अनुसार स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों में ही किया जायेगा, सिवाय पुनःक्रयों या मोचनों का संदाय करने के लिए चलनिधि अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता के विस्तार तक के, प्रस्ताव दस्तावेज में यथा प्रकटीकृत ; और

(ग) खंड (ख) के अनुसार निधियों को अभिनियोजित किये जाने तक, पारस्परिक निधि ऐसी निधियों का विनिधान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अल्पकालिक जमाओं में कर सकेगी । "

(vi) विनियम 52 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ख) में :-

(क) उप-खंड (xii) में, उसके अंत में प्रकट होने वाले शब्द "और", का लोप हो जायेगा;

(ख) उप-खंड (xii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्,

"(xii-क) स्वर्ण एक्सचेंज व्यापारित निधि स्कीम के मामले में, स्वर्ण के भंडारण और को संभालने हेतु उपगत आवर्ती व्यय ; और, "

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/25601/2006]

एम. दामोदरन्, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं. 856(अ), 9 दिसम्बर 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् -

(क) 15 अप्रैल, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 327 (अ), द्वारा

(ख) 12 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं.32 (अ), द्वारा

(ग) 8 दिसम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं.1223 (अ), द्वारा

(घ) 14 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.235 (अ), द्वारा

(ङ) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.278 (अ), द्वारा

(च) 22 मई, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.484 (अ), द्वारा

(छ) 23 जनवरी, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 69 (अ), द्वारा

(ज) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा

(झ) 23 जुलाई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 698 (अ), द्वारा

(ञ) 20 फरवरी, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 219 (अ), द्वारा

(ट) 11 जून, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 625 (अ), द्वारा

(ठ) 30 जुलाई, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 809 (अ), द्वारा

(ड) 9 सितंबर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं.956 (अ), द्वारा

(ढ) 27 सितंबर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जाँच अधिकारी द्वारा जाँच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं.1045 (अ), द्वारा

(ण) 29 मई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं.632 (अ), द्वारा

(त) 12 जनवरी 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2004, फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/4/2004, द्वारा

(थ) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा

संशोधित हुए थे ।

84 GI/06-2

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th January, 2006

Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2006

S.O. 38(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, namely :-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2006.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996:

(i) in regulation 2 –

(a) after clause (ma) the following clauses shall be inserted, namely:-

"(mb) 'gold exchange traded fund scheme' shall mean a mutual fund scheme that invests primarily in gold or gold related instruments;

"(mc) 'gold related instrument' shall mean such instrument having gold as underlying, as may be specified by the Board from time to time;"

(b) in clause (q), after the words "including money market instruments" and before the semi-colon, the words "or gold or gold related instruments" shall be inserted;

(ii) in regulation 7, in clause (g), after the words "keep custody of the securities", the words "or gold and gold related instruments" shall be inserted;

(iii) in regulation 26, after sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"**Provided** that in case of a gold exchange traded fund scheme, the assets of the scheme being gold or gold related instruments may be kept in custody of a bank which is registered as a custodian with the Board."

(iv) regulation 43 shall be substituted with the following, namely:-

"Investment objective

43. (1) Subject to other provisions of these regulations, a mutual fund may invest moneys collected under any of its schemes only in –

(a) securities;

(b) money market instruments;

(c) privately placed debentures;

(d) securitised debt instruments, which are either asset backed or mortgage backed securities; or

(e) gold or gold related instruments.

(2) Any investment made under sub-regulation (1) shall be in accordance with the investment objective of the relevant mutual fund scheme.

(3) Moneys collected under any money market scheme of a mutual fund shall be invested only in money market instruments.

(4) Moneys collected under any gold exchange traded fund scheme shall be invested only in gold or gold related instruments, in accordance with sub-regulation (5) of regulation 44."

(v) in regulation 44 –

(a) after sub-regulation (**1**), the following proviso shall be inserted, namely:

"**Provided** that nothing in the Seventh Schedule shall apply to a gold exchange traded fund scheme."

(b) after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:

"(5) A gold exchange traded fund scheme shall be subject to the following investment restrictions:

(a) the initial issue expenses in respect of any such scheme shall not exceed six percent of the funds raised under that scheme;

(b) the funds of any such scheme shall be invested only in gold or gold related instruments in accordance with its investment objective, except to the extent necessary to meet the liquidity requirements for honouring repurchases or redemptions, as disclosed in the offer document; and

(c) pending deployment of funds in accordance with clause (b), the mutual fund may invest such funds in short term deposits of scheduled commercial banks."

(vi) in regulation 52, in sub-regulation (4), in clause (b):-

(a) in sub-clause (xii), the word 'and' appearing at the end thereof, shall be omitted;

(b) after sub-clause (xii), the following sub-clause shall be inserted, namely,

"(xii-a) in case of a gold exchange traded fund scheme, recurring expenses incurred towards storage and handling of gold; and,"

[F. No. SEBI/LAD/DOP/25601/2006]
M. DAMODARAN, Chairman

Footnotes:

(1) The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on December 9, 1996 vide S.O. No. 856(E).

(2) The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 were subsequently amended –

(a) on April 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.327(E).

(b) on January 12, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.32(E).

(c) on December 08, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.1223(E).

8961/06-3

(d) on March 14, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.235 (E).

(e) on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278(E).

(f) on May 22, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.484 (E).

(g) on January 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.69 (E).

(h) on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.476(E).

(i) on July 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.698(E).

(j) on February 20, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.219 (E).

(k) on June 11, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.625 (E).

(l) on July 30, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.809(E).

(m)on September 9, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.956(E).

(n) on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045(E).

(o) on May 29, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O.No. 632(E).

(p) on January 12, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2004 vide F.No SEBI\LAD\DOP\4\2004.

(q) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).

अधिसूचना

मुंबई, 12 जनवरी, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 39(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 में -

(i) विनियम 2 में, खंड (ङ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् -

"(ङ) 'अभिरक्षक सेवाओं', ग्राहक की प्रतिभूतियों अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के अनुसार पारस्परिक निधि द्वारा धारित स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों के संबंध में, से, ऐसी प्रतिभूतियों अथवा स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों को सुरक्षा में रखना और उससे आनुषंगिक सेवाएँ प्रदान करना अभिप्रेत है, और जिसमें -

(i) ग्राहक की प्रतिभूतियों अथवा स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों का लेखा बनाए रखना ;

(ii) प्रतिभूतियों अथवा स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों की बाबत ग्राहक को प्रोद्भूत होने वाले फायदों या अधिकारों का संग्रहण ;

(iii) प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ता द्वारा की गई या की जाने वाली कार्रवाइयों से ग्राहक को सूचित रखना, जो ग्राहक को प्रोद्भूत होने वाले फायदों या अधिकारों से संबंधित हों ; और

(iv) उप-खंडों (i) से (iii) में निर्दिष्ट सेवाओं के अभिलेख बनाए रखना और का समाधान करना

सम्मिलित है । "

(ii) विनियम 6 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् -

"(खक) आवेदक के पास तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपेक्षित अनुमोदन हैं, पारस्परिक निधि की स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित

लिखतों की बाबत अभिरक्षक सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में, जहाँ लागू हो ; "

(iii) विनियम 8 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक और उप-विनियम अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् -

"परंतु यह कि बोर्ड रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को या तो ग्राहक की प्रतिभूतियों की बाबत या स्वर्ण अथवा स्वर्ण संबंधित लिखतों की बाबत अभिरक्षक सेवाएँ प्रदान करने तक निर्बंधित कर सकेगा ।"

"(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2006 के प्रारंभ की तारीख को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाला प्रतिभूति अभिरक्षक केवल बोर्ड का पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात् ही पारस्परिक निधि की स्वर्ण या स्वर्ण संबंधित लिखतों की बाबत अभिरक्षक सेवाएँ प्रदान कर सकेगा । "

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/25602/2006]

एम. दामोदरन्, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ.सं.344 (अ), 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 तत्पश्चात् -

(क) 4 दिसम्बर, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1996, एस.ओ. सं.851(ई), द्वारा

(ख) 17 अक्तूबर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं.732(अ), द्वारा

(ग) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं.17(अ), द्वारा

(घ) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.278 (अ), द्वारा

(ङ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा

(च) 27 सितंबर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जाँच अधिकारी द्वारा जाँच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं.1045 (अ), द्वारा

(छ) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा

संशोधित हुए थे ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th January, 2006

Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2006

S.O. 39(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996, namely :-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2006.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996 –

(i) in regulation 2, clause (e) shall be substituted with the following, namely –

"(e) 'custodial services' in relation to securities of a client or gold or gold related instruments held by a mutual fund in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 means, safekeeping of such securities or gold or gold related instruments and providing services incidental thereto, and includes-

(i) maintaining accounts of securities or gold or gold related instruments of a client;

(ii) collecting the benefits or rights accruing to the client in respect of securities or gold or gold related instruments;

(iii) keeping the client informed of the actions taken or to be taken by the issuer of securities, having a bearing on the benefits or rights accruing to the client; and

(iv) maintaining and reconciling records of the services referred to in sub-clauses (i) to (iii)."

(ii) in regulation 6, in sub-regulation (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely –

"(ba) the applicant has the requisite approvals under any law for the time being in force, in connection with providing custodial services in respect of gold or gold related instruments of a mutual fund, where applicable;"

(iii) in regulation 8, after sub-regulation (3), the following proviso and sub-regulation shall be inserted, namely –

"Provided that the Board may restrict the certificate of registration to providing custodial services either in respect of securities or in respect of gold or gold related instruments of a client."

"(4) A custodian of securities holding a certificate of registration as on the date of commencement of the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2006 may

provide custodial services in respect of gold or gold related instruments of a mutual fund only after taking prior approval of the Board."

[F. No. SEBI/LAD/DOP/25602/2006]
M. DAMODARAN, Chairman

Footnotes:

(1) The Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on May 16, 1996 vide S.O. No. 344(E).

(2) The Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996 were subsequently amended –

(a) on December 4, 1996 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1996 vide S.O. No.851(E).

(b) on October 17, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.732 (E).

(c) on January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.17 (E).

(d) on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278(E).

(e) on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.476(E).

(f) on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045(E).

(g) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.